कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
फतेहपुर

पत्रांकः–............/सी–4/2018 दिनांक........./......../2018

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
प्रतापगढ़–फतेहपुर वृत्त
लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।

विषयः– **उप महाप्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 कानपुर के पत्र संख्या–रिटेल/इंजीनियरिंग/एसकेएस /415 दिनांक–28.12.2017 /दिनांक–10.01.2018 गाटा संख्या–1502 ग्राम असवार तारापुर परगना–फतेहपुर, तहसील–फतेहपुर सदर, जिला फतेहपुर, फतेहपुर जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– कार्यालय जिलामजिस्ट्रेट फतेहपुर (आयुध अनुभाग) का पत्रांक–मेमो/20–विविध/आयुध दिनांक–12.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित खण्डीय अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की संयुक्त सत्यापन आख्या की संस्तुति दिनांक 02.02.2018 तथा प्रस्तावित कार्य का ब्लू प्रिन्ट मानचित्र की मूल 2 प्रति एवं प्रस्तावित स्थल की तीन तरफ फोटोग्राफ तथा आई0आर0सी0 द्वारा जारी चेकलिस्ट एवं खतौनी की नकल तथा कार्यस्थल की सी0डी0 संलग्न के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के साथ नया रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पम्प) **फतेहपुर जोनिहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)** पर स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1945 की धारा 6 के अन्तर्गत अन्य जिला मार्गो पर नगर सीमा के बाहर कृषि भूमि पर मार्ग के मध्य बिन्दु से संलग्न मानचित्र के अनुसार 18.30 मी0 (60 फिट) से कम दूरी पर प्रस्तावित कार्य की बाउन्ड्रीवाल तथा प्रथम फिलिंग प्वाइंट 27.80 मीटर (91 फिट) एवं द्वितीय फिलिंग प्वाइंट 35.30 मीटर (114 फिट 9 इंच) से कम दूरी पर न बनाया जाये। लो0नि0वि0 की भूमि, मार्ग के मध्य बिन्दु से 15.20 मीटर (50 फिट) किसी प्रकार की स्थाई/अस्थाई निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट के स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।
2. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सत्यापन राजस्व विभाग के अभिलेखों से सत्यापन अवश्य करा लिया जाये। यदि प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि से सम्बन्धित कोई वाद /मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र कदापि न निर्गत किया जाये।
3. मार्ग के जक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु मानचित्र के अनुसार 1.00 मीटर व्यास हयूम पाइप पुलिया/नाली के साथ दोनो तरफ पैरापिट एवं पक्की नाली एम0एस0 ग्रेटिंग सहित तथा साइन बोर्ड/सूचना पट/ काशन बोर्ड/अग्नीशमन यंत्र आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य करना सुनिश्चित किया जाये।
4. उक्त रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के फल स्वरूप यातायात कदापि प्रभावित नहीं किया जाये।
5. बफर स्ट्रिप आई0आर0सी0 कोड के अनुसार न्यूनतम लम्बाई 12.00 मीटर तथा चौड़ाई 3.00 मीटर से कम कदापि न रखा जाये।
6. आई0आर0सी0 कोड के अनुसार प्रस्तावित कार्य का फन्टेस/प्रवेश एवं निकास क्रमशः न्यूनतम लम्बाई 30.00 मी0/9.00 मी0, 900 मीटर तथा स्लोप 02 प्रतिशत से कम न रखा जाये।
7. प्रस्तावित कार्यस्थल के सामने मार्ग की पटरी पर हाई टेंशन लाइन जा रही है जल मल की निकासी मार्ग की तरफ न किया जाये तथा निर्माण निर्माण सामग्री मार्ग पर अथवा मार्ग के किनारे न रखा जाये।
8. प्रस्तावित आउटलेट का कार्य का कुर्सी तल मार्ग की लेपित सतह से न्यूनतम 15 सेमी (6 इंच) नीचे रखा जाये।
9. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग की बीच हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भें इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेगें।
10. प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाये तथा आई0आर0सी0 पब्लीकेशन का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।
11. प्रस्तावित निर्माण की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष तक न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनुमति लेना होगा।

M.S word file/Petrol Pump NOC Letter 24

SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager

12. लो0नि0वि0 के सरकारी भूमि जो प्रस्तावित **नया रिटेल आउटलेट (डीजल / पेट्रोल पम्प)** के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोग होगी उसको सदेव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट भू–स्वामि प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

13. संलग्न मानचित्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य निर्माण न कराया जाये यदि निर्माण किया जाता है तो निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

14 अनुमोदित प्लान तथा आई0आर0सी0 12–2009 में दिये गये प्राविधानों / विशिष्टियों / मानक के प्रदत्त / निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

15. निर्माण के समय लो0नि0वि0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

1. प्रस्तावित कार्यस्थल का मानचित्र 02 प्रति में।
2. उद्धवरण खतौनी की नकल की छायाप्रति।
3. सत्यापन आख्या दिनांक–02.02.2018 मूल में।
4. प्रस्तावित कार्यस्थल की सी0डी0 एवं फोटोग्राफ 03 प्रति में।
5. आई0आर0सी0 कोड चेकलिस्ट 03 प्रति में।

अधिशाषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
फतेहपुर

पत्रांकः–455/सी–4/2018 दिनांक 21/02/2018

प्रतिलिपिः– कार्यालय जिलामजिस्ट्रेट फतेहपुर (आयुध अनुभाग) का पत्रांक–मेमो / 20–विविध / आयुध दिनांक–12.01.2018 के कम में सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता द्वितीय / अवर अभियन्ता प्रा0खं0, लो0नि0वि0, फतेहपुर द्वारा दी गयी सूचना के कम में सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– अवर अभियन्ता (प्रा0) प्रा0खं0, लो0नि0वि0, फतेहपुर को मानचित्र की एक प्रति के साथ अभिलेखार्थ।

27/08/2020
SIDDHARTH JAIN
Chief Regional Manager
Kanpur Retail Regional Office

अधिशाषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
फतेहपुर